

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR  
 MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA  
 (RAILWAY BOARD)

NO. E(NG)I-97/PM7/23

New Delhi, dated 8-1-1998

The General Manager (P)  
 All Indian Railways and  
 Production Units.  
 (As per standard list).

Sub:- Timely selection/suitability tests  
 to fill up promotional vacancies.

- Ref: (i) NC.E(NG)I-76/PM1/168 dated 3.9.76.  
 (ii) NC.E(NG)I-79/PM1/105 dated 26.4.79.  
 (iii) NC.E(NG)II-81/RC1/1 dated 1.4.81.  
 (iv) NC.E(NG)I-82/PM1/204 dated 27.6.83.  
 (v) NC.E(NG)I-87/PM1/4 dated 18.8.87.  
 (vi) NC.E(NG)I-95/PM1/23 dated 14.12.95.  
 (vii) NC.E(NG)I-96/PM1/1 dated 20.9.96.

Attention is invited to the extant instructions contained in the Board's letters referred to above and other instructions issued from time to time inter alia stipulating that selections should be held at regular intervals and that a calendar should be maintained for conducting selection/suitability/trade tests. Timely holding of selection/suitability/trade tests obviates the need to make stop-gap arrangements involving promotion of staff on ad-hoc basis.

2. One of the recommendations of the 'PREM' Core Group of Railway Safety accepted by the Board is that the safety related vacancies should be filled up expeditiously. It is accordingly reiterated that the instructions for filling up vacancies in regular manner and in time especially in safety categories should be strictly implemented and information in this regard included in a separate Annexure to the CPO's monthly PCDC.

Please acknowledge receipt.

  
 (J.S. Gusaain)  
 Joint Director Estt.(N)  
 Railway Board

NC.E(NG)I-97/PM7/23

New Delhi, dated 3-1-1993

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen Federation, 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 256-C, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

*for Secretary/Railway Board*

Copy to:-

PSS to CRB, FC, MS, MM, ME, ML, MT.

PSS to AM(S), DG(RHS), EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDE(IR), EDPC I&II, JDE(RRB), JDE(R), JDE(D&A), JDPC, DDE(R) I&II, DD(Code Revision), DDE(N) I&II, DDE(LR) I, E(NG) II, E(Rep) I, II&III, E(SCT) I&II, Sec(E), E(G) with two spares, A/C-I&II (15 spares).

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

आर. बी. ई. सं. 187/97

सं. ई. सन. जी. १-९७/पी. सम. ७/२३

नई दिल्ली, दिनांक: ८-१-९६४

महाप्रबंधक का प्रिकृ,  
सभी भारतीय रेलों तथा  
उत्पादन इकाइयां  
मानक सूची के अनुसार

विषय: पदोन्नति संबंधी रिक्तियों को भरने हेतु समय पर प्रवरण/  
उपर्युक्तता परीक्षा.

.....

संदर्भ : सं. ई. सन. जी. १-७६/पी. सम. १/१६८	दिनांक ३. ९. ७६
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-७९/पी. सम. १/१०५	दिनांक २६. ४. ७९.
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-८।/आर. सी. ।/।	दिनांक ।. ४. ८।
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-८२/पी. सम. ।/२०४	दिनांक २७. ६. ३३
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-८७/पी. सम. ।/४	दिनांक ।८. ८. ८७
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-९५/पी. सम. ।/२३	दिनांक ।४. ।२. ९५
।।।।। सं. ई. सन. जी. १-९६/पी. सम. ।/।	दिनांक २०. ९. ९६

बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों में अन्विष्ट मौजूदा अनुदेशों तथा  
समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अन्य  
बातों के साथ-साथ यह अनुबूद्ध है कि नियमित अंतराल पर प्रवरण आयोजित किए  
जाएं तथा प्रवरण/उपर्युक्तता/व्यवसाय परीक्षण के लिए ऐसे रुकावट  
प्रवरण/उपर्युक्तता/व्यवसाय परीक्षण के समय पर आयोजित किए जाने से रुकावट  
के कारण बीच के अंतरालों पर गैरकों की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं  
रहेगी जिसके कारण कर्मियों को तार्थ आधार पर पदोन्नति देनी  
षड्हती है।

2. बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए रेलवे संरक्षण पर "ईस" कोर ग्रुप की सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि संरक्षण से संबंधित रिक्तियाँ शीघ्र भरी जाएँ। तदनुसार, इक बार पिर यह दोहराया जाता है कि खाततौर पर संरक्षण से संबद्ध कोटियों को नियमित तरीके से स्वं सभय पर भरने के अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन किया जाए तथा इस संबंध में सूचना को मुख्य कार्मिक अधिकारी के मातिक पी.सी.डी.ओ.में एक अलग अनुबंध में शामिल किया जाए।

कृपया पावती दें।

*जनरल सेक्रेटरी*  
४ जे.एस.गुलाई ४  
संयुक्त निदेशक, स्था. ३अराज. ४  
रेलवे बोर्ड।

सं. ई.एन.जी. ४।-९७/पी.सम. ७/२३

नई दिल्ली, दिनांक: ४.१.१९९८

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, स.आई.आर.सफ., 258, रेल भवन, नई दिल्ली ४३५ अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. जनरल सेक्रेटरी, सन.सफ.आई.आर., 256 ती, रेल भवन, नई दिल्ली ४३५ अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद् के सभी तदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, १३-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ४९० अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. महासचिव, सफ.आर.ओ.ए., कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली ४५ अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. महासचिव, आई.आर.पी.ओ.ए., कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली ४५ ५ अतिरिक्त प्रतियों सहित।

*कृत सचिव, रेलवे बोर्ड।*